# राजस्व लोक अदालत केम्प सिमरखिया तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 78 / 2018

2018/010

वादीगण :– 1 रूपाराम पुत्र नैना
2. वगताराम पुत्र नैना
3. मदरूपाराम पुत्र नैना जाति चौधरी निवासी किटनोद

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. प्रहलादराम पुत्र नैनाराम
2. मांगाराम पुत्र नैनाराम
3. ओमप्रकश पुत्र भगवानराम पुत्र नैनाराम चौधरी निवासी विठुजा

88 आर.टी.ए दावा बाबत घोषणा

**निर्णय** दिनांकः–25.05.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत सिमरखिया प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में सक्षिप्त रूप से प्रकरण में जाहिर किया कि ग्राम विठूजा के खसरा न0 319 रकवा 23 बीघा, ख0न0 1069 /419 रकवा 37 बीघा कि प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम से दर्ज है, उक्त अराजी में वादीगण के पिता नैनाराम के द्वारा खरीदी जिसमें प्रतिवादीगण 1, 2 व 3 के पिता के नाम से खरीदी गयी उस वक्त वादीगण 1 से 3 नाबालिंग थें । जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण सभी का कब्जा कास्त है व वर्तमान में मौके पर भौतिक रूप से बंटवाडा किया जाकर कब्जा कास्त है। पैतृक सह संयुक्त हिन्दु खनादान की कृषी भूमियां में उक्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादीगण का प्रत्येक का 1/6, 1/6, 1/6, हिस्सा है।

पत्रावली न्याय आपके द्वार सिमरखिया में उपस्थित होकर वादी व प्रतिवादीगण ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण 1 से 3 को उक्त आराजी में वादीगण 1 से 3 को **प्रत्येक को** 1/6 खातेदारी घोषित करने का आग्रह किया गया।

(भागीरथ राम)
...पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, ... अभियान-2018
...अधिकारी एवं पदेन सहा...

पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया । वादी द्वारा पेश वाद के साथ के प्रस्तुत जमाबंदी व राजीनामा का अवलोकन किया गया । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पिता की सन्तान है, एवं खरीदी गयी आराजी में सभी पक्षकारन संयुक्त परिवार के सदस्य है। एवं आराजी खरीदते समय वादीगण नाबालिग होने से उनका हक सुरक्षित है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण का वाद किया जाकर ग्राम बिठुजा के ग्राम बिठूजा के खसरा न0 319 रकबा 23 बीघा, ख0न0 1069 /419 रकबा 37 बीघा मे प्रतिवादीगण रूपाराम पुत्र नैनाराम 1/6, वगताराम पुत्र नैनाराम 1/6, मदरूपाराम पुत्र नैनाराम 1/6 एवं प्रतिवादीगण प्रहलाद राम पुत्र नैनाराम 1/6, मांगाराम पुत्र नैनाराम 1/6, ओमप्रकाश पुत्र भगवानाराम को 1/6 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड में इन्दाज करने का आदेश जारी हो। डिकी पर्चा जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प.....................

Scanned by CamScanner